Deed No.- 2901

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

बिहार BIHAR

G 332626

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर

दिनाक 26/03/2011 को Nandan Kumar(Agn) द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० 46720/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 12525/- निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्त्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं ।इस दस्तावेज सं0 2901 के रूप में पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 48 के पृष्ट सं0 121 से 130 तक CD 8 में आज निबंधित एवं कुल 10 पृष्टों में संधारित किया गया ।

ह०

(Niraj Kumar)

निबंधन पदाधिकारी

Date : 26/03/2011 Token No.- 3457 / Year 2011

1– लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता :–

श्री नन्दन कुमार पिता श्री रमेश प्रसाद निवास स्थान– आशोपुर, थाना– दानापुर पोस्ट– खगौल जिला– पटना, वहैसियत मोख्तार मिनजानिब (1) श्री विश्वजीत पाल पिता श्री जवाहर प्रसाद पाल (2) श्री

Serial No : 3508
Token No : 3457

Deed No : 2901
of 2011

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
In Favour of	Harendra Kumar Singh हरेन्द्र कुमार सिंह 26/3/11 Signature of Party						
Presented by Self	Nandan Kumar(Agn) नन्दन कुमार 26/03/11						
Executed by	Signature of Party Nandan Kumar(Agn)						
Executed by	Signature of Party Vishwajit Pal(Po)						
Executed by	Signature of Party Amit Kumar(Po)						
Identifier	Signature of Party Rakesh Kumar राकेश कुमार 26/3/011 Signature of Party						

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

R BIHAR

G 332627

अमीत कुमार पिता श्री साधु शरण, दोनो का निवास स्थान– आशोपुर, थाना– दानापुर, पोस्ट– खगौल, जिला– पटना, की ओर से जिसका टोकन नं0– 1038 सिरियल न0– 991 बुक नं0– 4, जिल्द नं0– 2 सी0डी0– 1, पेज न0– 534 से 540 बसिका नं0– 168 दिनांक 30–01–2010 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर द्वारा शक्ति प्रदत्त है ।

2– लेखधारी का नाम एवं पूरा पता :–

श्री हरेन्द्र कुमार सिंह पिता श्री श्यामबहादुर सिंह, साकिन– जजेज कॉलोनी बेली रोड, दानापुर, पोस्ट– दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, भारतीय नागरिक ।

सही नन्दन कुमार
26-03-11

3- लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद बिक्रय-पत्र यानि कवाला वैयला कलामी ।
(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4- मूल्यांकन :-

मो0 5,84,000/- रूपया (पांच लाख चौरासी हजार रूपया) मात्र ।

5- सम्पत्ति का विवरण :-

मवाजी 10 डीसमल (दस डीसमल) भूमि आवासीय एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा- आशोपुर परगना- फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं0- 34, तौजी नं0- 5066, खाता नं0- 83 (तेरासी), खेसरा सर्वे प्लौट नं0- 80 (अस्सी) का अंश भाग । जिसका सालाना लगान मो0 1.50 रूपया अलावे शेष जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचल- दानापुर । जमाबन्दी नं0- 419/6 सन् 2009-2010 ई0

" चौ ह दी "

उत्तर : रामचन्द्र लाल ।
दक्षिण : आज खरीदार श्रीमती नूतन सिंह ।
पूरब : काशी लाल ।
पश्चिम : ईश्वरी प्रसाद ।

" स द र्भ "

विदित हो कि खाने नं0- 5 में वर्णित भूमि एवं और भी अन्य दिगर सम्पत्ति के साथ मूल लेख्यकारीगण वजरिये वशिका

विक्रय पत्र दिनांक 25–11–2008 ई0 को नविस्तं श्री सुनील कुमार पिता स्व0 देवलगन राय साकिन– आशोपुर, थाना– दानापुर, जिला– पटना बहैसियत मोख्तार मिनजानिब श्री बुद्वदेव शुक्ला पिता स्व0 राधा रमण शुक्ला साकिन– आशोपुर, थाना– दानापुर, जिला– पटना से और एराजी के साथ खरीद किया है । जिसका बुक नं0– 1 जिल्द नं0– 109 पेज नं0– 261 से 269, टोकन नं0– 8579, सिरियल न0– 8484 सी0 डी0 नं0– 17, वसीका नं0– 7201 निबंधन कार्यालय दानापुर है। खरीदारी के दिन से लेकर आजतक इजमालन उपर्यूक्त खाना न0– 5 में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य और भी दिगर राम्पत्ति को स्वतंत्र रूप से हर तरह से अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर उसका हर तरह से उपयोग वो उपभोग करते चले आ रहे है । खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को मालिक वो अधिकारी लेख्यकारी के अलावे दुसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यह भूमि हर तरह से पाक–साफ, शुद्ध पवित्र, झगडा–झंझट वो ऋण भार वो अधिग्रहण से मुक्त है।

मूल लेख्यकारीगण को अपने जरूरी कार्यो के निष्पादन करने के लिए रूपयों की सख्त जरूरत है । मूल लेख्यकारीगण ने खाना न0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को बिकी हेतु लेख्यकारी को अपना मख्तार कायम किया वो मनानित किया बिना खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को बेचे हुए शीघ्र रूपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है

अतएव लेख्यकारी बहैसियत मोख्तार मूल लेख्यकारीगण के अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाने के अपने समस्त ज्ञानेन्दियों के साथ खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार खाने न0– 4 में वर्णित मूल्य मो0 5,84,000/– रूपया में बदस्त लेख्यधारी खाने नं0–2 को बेचा वो केवाला बयला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया । मूल्य के कुल रूपया लेख्यकारी ने बशिका पर हस्ताक्षर के पूर्व ही खरीदार पक्ष द्वारा वसुल वो बेबाक हो चुके हैं। जिसका

सही सुनील कुमार
24/03/11

भुगतान लेख्यकारी ने मूल लेख्यकारीगण को भी कर दिया है। इस प्रकार खरीदार पक्ष ने उपरोक्त खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति का कुल मूल्य राशि लेख्यकारी के माध्यम से मूल लेख्यकारीगण को भुगतान कर दिया है अब मूल लेख्यकारीगण या लेख्यकारी का मूल्य का एक रूपया भी खरीदार पक्ष के पास बाकी न रहा, वो न कभी भविष्य में होगा। खाने नं0– 5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वा दखल कब्जा आज तक मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वे सब कुल हक वो दखल–कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयो के बदले हस्तातरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति पर बहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय मूल लेख्यकारीगण के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग एवं अन्य विभाग में इस बिकय–पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा या यदि लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत ध्यान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर जरेसम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा वमोकावले वशिका विकय–पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिकेतां) ने लेख्यधारी (केतां) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक–साफ है वो आज तक लेख्यकारी मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी ने खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं। साथ ही साथ

हस्ती - 26/03/11.

लेख्यकारी के पक्ष में मूल लेख्यकारीगण द्वारा निष्पादित वशिका मोख्तारनामा पूर्ण रूप से वध है तथा मूल लेख्यकारीगण ने उपरोक्त सम्पत्ति को बिक्री करने का निर्देश लेख्यकारी को दिया है तथा लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण को किसी भारतीय विधान के अन्तर्गत उपरोक्त सम्पत्ति का बिक्री करने से प्रतिबंधित नहीं किया है। लेख्यकारी के उपरोक्त निजी आश्वासन के आधार पर खरीदार पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति की खरीदारी कर रही हैं । वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू–भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसे हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वकदर बेदखली या जो–जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़ उसे मय सूद सरकारी के हिसाब से लेख्यकारी से या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण को किसी प्रकार का उजूर वा एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय–पत्र यानि केवाला बखला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनाक – 26-03-11

26/3/11

प्रारूपकर्ता

अनुमान के आधार पर निर्मित
नजरी नक्शा

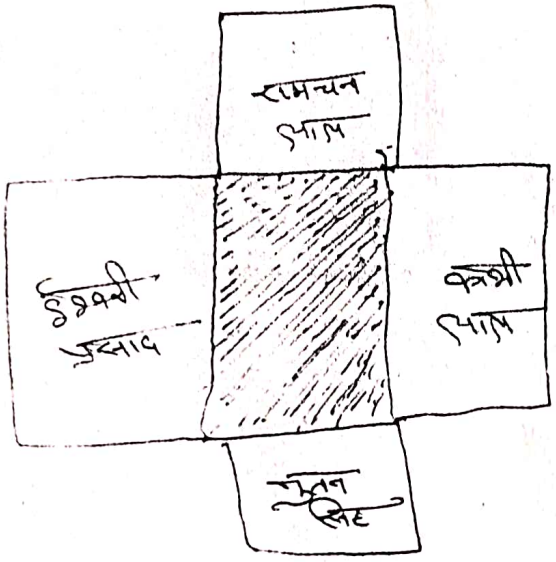
1– बिकेता का नाम श्री नन्दन कुमार पिता श्री रौशन प्रसाद साo- आईकुर, बांसपुर, पo

2– केता का नाम श्री हरेन्द्र कु० सिंह श्री ग्राम पहाड़पुर Cam साo, अमोना पंचायती बांसपुर, पo

मौजा– [illegible] थाना नं0– 34 तौजी नं0 5066
खाता नं0 52 खेसरा नं0 50 ऐराजी 1080
अंचल [illegible]

बिकेता एवं केता द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा जो..... मीटर त्रिज्या में स्थित मुख्य स्थल का विवरण दिया गया है वो प्लौट नम्बर लाल रंग में एवं अन्य स्थितियो एवं विशेषताओ को दर्शाया गया है :–

उत्तर
पश्चिम — पूरब
दक्षिण



बिकेता का हस्ताक्षर
26/3/11

केता का हस्ताक्षर
हरेन्द्र कुमार/सिंह
26/3/11

Deed No.- 2902

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

G 332628

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर

Nandan Kumar(Agn)

दिनांक 26/03/2011 को द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० 46720/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 12525/- निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है ।इसे दस्तावेज सं0 2902 के रूप में पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 48 के पृष्ठ सं0 131 से 140 तक CD 8 में आज निबंधित एवं कुल 10 पृष्ठों में संधारित किया गया ।

(Niraj Kumar)

निबंधन पदाधिकारी

Date : 26/03/2011 Token No.- 3458 / Year 2011

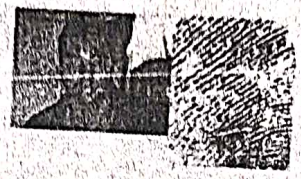
1– लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता :–

श्री नन्दन कुमार पिता श्री रमेश प्रसाद निवास स्थान– आशोपुर, थाना– दानापुर पोस्ट– खगौल जिला– पटना, बहैसियत मोख्तार मिनजानिब (1) श्री विश्वजीत पाल पिता श्री जवाहर प्रसाद पाल (2) श्री

सही नन्दन कुमार बहैसियत मोख्तार मिनजानिब श्री विश्वजीत पाल श्री कमलेश कुमार की ओर से दी गई है। कागज लिखा मेरे सामने लिखा। कुल रुपया वसूल पाया।
ता० 26-03-11.

Serial No : 3509
Token No : 3458
Type & Status of Party

Deed No : 2902 of 2011
Name of Party

	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
In Favour of	Nootan Singh				
Presented by Self	Nandan Kumar(Agn)				
Executed by	Nandan Kumar(Agn)				
Executed by	Vishwajit Pal(Po)				
Executed by	Amit Kumar(Po)				
Identifier	Rakesh Kumar				

नूतन कुमार
26/3/11
Signature of Party

नन्दन कुमार
26/03/11
Signature of Party

Signature of Party

Signature of Party

राकेश कुमार
26/3/2011
Signature of Party

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

G 332629

- 2 -

अमीत कुमार पिता श्री साधु शरण, दोनो का निवास स्थान– आशोपुर, थाना– दानापुर, पोस्ट– खगौल, जिला– पटना की ओर से जिसका टोकन नं0– 1038 सिरियल नं0– 991 बुक नं0– 4, जिल्द नं0– 2, सी0डी0– 1, पेज नं0– 534 से 540 दसिका नं0– 168 दिनांक 30–01–2010 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर द्वारा शक्ति प्रदत्त है ।

2– लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता :–

श्रीमती नूतन सिंह पति श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, साकिन– जजेज कॉलोनी बेली रोड, दानापुर, पोस्ट– दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, भारतीय नागरिक ।

सही नन्दन कुमार
ता० 26-03-11

अमीत कुमार
पिता - श्री साधु शरण
साकिन - आशोपुर
थाना - दानापुर
जिला - पटना
हस्ताक्षर - 26-03-11

3– लेख्य प्रकार :–

निर्विवाद बिकय–पत्र यानि केवाला वैयला कलामी ।
(DEED OF ABSOLUTE SALE)

4– मूल्यांकन :–

मो0 5,84,000/– रूपया (पांच लाख चौरासी हजार रूपया) मात्र ।

5– सम्पत्ति का विवरण :–

मवाजी 10 डीसमल (दस डीसमल) भूमि आवासीय एराजी हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा– आशोपुर परगना– फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री– दानापुर,, सदर रजिस्ट्री वो जिला– पटना, जिसका थाना नं0– 34, तौजी नं0– 5066, खाता नं0– 83 (तेरासी), खेसरा सर्वे प्लौट नं0– 80 (अस्सी) का अंश भाग । जिसका सालाना लगान मो0 1.50 रूपया अलावे शेष जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचल– दानापुर । जमाबन्दी नं0– 419/6 सन् 2009–2010 ई0

सती नन्दन कुमार
ता– 26–03–11

"चौ ह दी"

उत्तर : आज खरीदार हरेन्द्र कुमार सिंह ।
दक्षिण : आहर ।
पूरब : काशी लाल ।
पश्चिम : ईश्वरी प्रसाद ।

"स द र्भ"

विदित हो कि खाने नं0– 5 में वर्णित भूमि एवं और भी अन्य दिगर सम्पत्ति के साथ मूल लेख्यकारीगण वजरिये वशिका

बिक्रय पत्र दिनांक 25–11–2008 ई0 को नविस्ते श्री सुनील कुमार पिता स्व0 देवलगन राय साकिन– आशोपुर, थाना– दानापुर, जिला– पटना बहैसियत मोख्तार मिनजानिब श्री बुद्वदेव शुक्ला पिता स्व0 राधा रमण शुक्ला साकिन– आशोपुर, थाना– दानापुर, जिला– पटना से और एराजी के साथ खरीद किया है। जिसका बुक नं0– 1, जिल्द नं0– 109, पेज नं0– 261 से 269, टोकन नं0– 8579, सिरियल नं0– 8484 सी0 डी0 नं0– 17, वसीका नं0– 7201 निबंधन कार्यालय दानापुर है। खरीदारी के दिन से लेकर आजतक इजमालन उपर्यूक्त खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति एवं अन्य और भी दिगर सम्पत्ति को स्वतंत्र रूप से हर तरह से अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर उसका हर तरह से उपयोग वो उपभोग करते चले आ रहे है । खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को मालिक वो अधिकारी लेख्यकारी के अलावे दुसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यह भूमि हर तरह से पाक–साफ, शुद्ध पवित्र, झगड़ा–झंझट वो ऋण भार वो अधिग्रहण से मुक्त है।

मूल लेख्यकारीगण को अपने जरूरी कार्यो के निष्पादन करने के लिए रूपयों की सख्त जरूरत है । मूल लेख्यकारीगण ने खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को बिकी हेतु लेख्यकारी को अपना मोख्तार कायम किया वो मनोनित किया बिना खाना नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को बेचे हुए शीघ्र रूपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है

अतएव लेख्यकारी वहैसियत मोख्तार मूल लेख्यकारीगण के अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपना सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति समझ बुझकर अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार खाने नं0– 4 में वर्णित मूल्य मो0 5,84,000/– रूपया में बदस्त लेख्यधारिणी खाने नं0–2 को बेचा वो केवाला वयला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया । मूल्य के कुल रूपया लेख्यकारी ने वंशिका पर हस्ताक्षर के पूर्व ही खरीदार पक्ष द्वारा वसुल वो बेबाक पा चुके हैं। जिसका

सही नुदना कुमार
ता - 26-3-11

भुगतान लेख्यकारी ने मूल लेख्यकारीगण को भी कर दिया है। इस प्रकार खरीदार पक्ष ने उपरोक्त खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति का कुल मूल्य राशि लेख्यकारी के माध्यम से मूल लेख्यकारीगण को भुगतान कर दिया है अब मूल लेख्यकारीगण या लेख्यकारी का मूल्य का एक रूपया भी खरीदार पक्ष के पास बाकी न रहा, वो न कभी भविष्य में होगा। खाने नं0– 5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वे सब कुल हक वो दखल–कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयो के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय मूल लेख्यकारीगण के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग एवं अन्य विभाग में इस बिकय–पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत ब्यान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर जरेसम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा वमोकावले वशिका बिकय–पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिकेतां) ने लेख्यधारिणी (केतां) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक–साफ है वो आज तक लेख्यकारी मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारी ने खाना नं0– 5 में वणित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं, तोड़ नहीं किये हैं। साथ ही साथ



लेख्यकारी के पक्ष में मूल लेख्यकारीगण द्वारा निष्पादित वशिका मोख्तारनामा पूर्ण रूप से वैध है तथा मूल लेख्यकारीगण ने उपरोक्त सम्पत्ति को बिकी करने का निर्देश लेख्यकारी को दिया है तथा लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण को किसी भारतीय विधान के अन्तर्गत उपरोक्त सम्पत्ति को बिकी करने से प्रतिबंधित नहीं किया है। लेख्यकारी के उपरोक्त निजी आश्वासन के आधार पर खरीदार पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति की खरीदारी कर रही हैं । वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण–भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू–भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसे हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वकदर बेदखली या जो–जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद सरकारी के हिसाब से लेख्यकारी से या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी या मूल लेख्यकारीगण को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिकय–पत्र यानि केवाला वयला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक :– 26-03-2011

सही जानकी कुमार
ता - 26-3-11

गुलन सिंह
26/3/11

प्रारूपकर्ता

अनुमान के आधार पर निर्मित
नजरी नक्शा

1– बिक्रेता का नाम श्री नन्दन कुमार पिता श्री रमेश प्रसाद साo आमीपुर थानापुर पत्रालय

2– क्रेता का नाम श्री [illegible] सिंह पिता श्री हरेन्द्र कुo सिंह साo भजेभ कॉलोनी पत्रालय

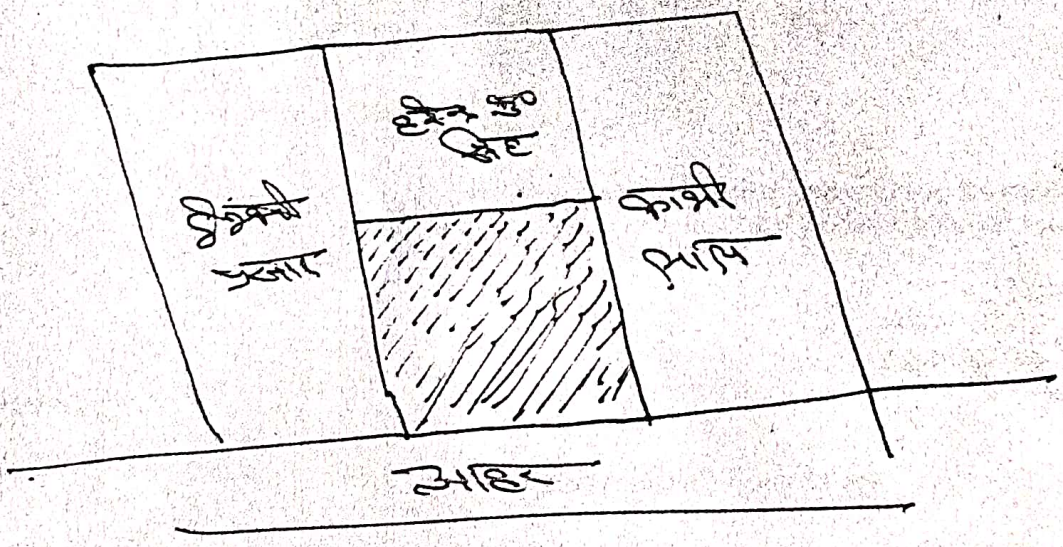
मौजा– [illegible] थाना नं0– 34 तौजी नं0 5066

खाता नं0 83 खेसरा नं0 80 ऐराजी 1080

अंचल [illegible]

बिक्रेता एवं क्रेता द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा जो..... मीटर त्रिज्या में स्थित मुख्य स्थल का विवरण दिया गया है वो प्लौट नम्बर लाल रंग में एवं अन्य स्थितियो एवं विशेषताओ को दर्शाया गया है :–

उत्तर
पश्चिम — पूरब
दक्षिण



नन्दन कुमार
26/03/11
विक्रेता का हस्ताक्षर

क्रेता का हस्ताक्षर
जन सिंह
26/3/11